भारतीय ज्ञानपीठ

18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

13वीं नवलेखन प्रतियोगिता, 2017

आवेदन-पत्र

आवेदक का नाम :.....

जन्मतिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) : .....

कृति का नाम : ..... विधा का नाम : .....

शिक्षा : .....

पता : .....

.....

फोन : ..... फैक्स : ..... ई-मेल : .....

अन्यत्र प्रकाशित रचनाएँ (पत्र-पत्रिकाओं के नाम) : .....

.....(आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें)

कोई विशेष साहित्यिक उपलब्धि / जिसका आवेदक उल्लेख करना चाहता हो : .....

.....(आवश्यकता हो तो अतिरिक्त पृष्ठ संलग्न करें)

यह सर्वथा अप्रकाशित कृति है।

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपर्युक्त सभी जानकारियाँ सही हैं।

दिनांक : ..... (**हस्ताक्षर**)

स्थान : ..... आवेदक

नियमावली

1. तेरहवीं नवलेखन प्रतियोगिता **उपन्यास** तथा **कथेत्तर गद्य** विधा के लिए सुनिश्चित की गयी है।
2. पांडुलिपि की गुणवत्ता के अनुसार चयनित दोनों विधाओं की पांडुलिपि पर पचास-पचास हज़ार रुपये (50,000 रुपये) का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चयनित पांडुलिपि को भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशित करेगा।
3. **30 सितम्बर, 2017 तक 40 वर्ष की आयु तक के लेखकों से पांडुलिपियाँ आमन्त्रित हैं।**
4. लेखक की प्रथम अप्रकाशित कृति होनी चाहिए। यदि प्रतिभागी की किसी भी विधा में पुस्तक प्रकाशित/पुरस्कृत हो चुकी है, वह इस योजना के अन्तर्गत पात्रता नहीं रखेगा।
5. कृति की पांडुलिपि 150-200 टंकित पृष्ठों (ए-फोर साईज पेपर पर सिर्फ़ एक ओर, फॉन्ट साईज 14 प्वाइंट, लीडिंग 1.5) की होनी चाहिए।
6. लेखक द्वारा जन्मतिथि सहित अपना पूरा परिचय भेजना आवश्यक है।
7. प्रतियोगिता में भेजी जानेवाली पांडुलिपि पर 'नवलेखन प्रतियोगिता के लिए' ज़रूर लिखें।
8. भारतीय ज्ञानपीठ की वेबसाइट www.jnanpith.net पर उपलब्ध नवलेखन प्रतियोगिता फार्म को साथ में भरकर भेजें।
9. यदि कोई कृति पुरस्कार के योग्य नहीं पायी गयी तो इस वर्ष पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
10. निर्णायक मंडल का निर्णय मान्य और अन्तिम होगा।
11. इस वर्ष कार्यालय में पांडुलिपि प्राप्त होने की **अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, 2017** है।
12. लेखक कृति की एक प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें। ज्ञानपीठ द्वारा कोई भी पांडुलिपि वापस नहीं भेजी जाएगी।
13. कहीं भी पूर्व प्रकाशित कृति पुरस्कार योजना के अन्तर्गत अमान्य होगी।
14. नवलेखन प्रतियोगिता में पूर्व पुरस्कृत लेखक की कृति पर विचार नहीं होगा।
15. प्रेषित पांडुलिपि के बारे में पत्राचार और पूछताछ करना नियम के विरुद्ध है और लेखक को अमान्य घोषित किया जा सकता है।